07:29 51%

MY DEPUTATION APPLICA...
https://dc.allahabadhighcourt.in/de

eServicesJO

MY Deputations

Application For Deputation

Print Copy PDF CSV Excel

Search:

Deput Id	Designation
D00002092020 Old Case Id : 368	Spl. J. (SC/ST, Pev.of Atroci Act)
D00001012020 Old Case Id : 256	Spl. J. (SC/ST, Pev.of Atroci Act)
D00000432024	Addl. Principal Judge, Family Court

Post Applied Special Secretary & Additional L.R. (Judicial Department), Government of U.P., Lucknow.

Department Muzaffar Nagar

Date 10-04-2024

Current Status Principle Judge (Family Court - Muzaffar Nagar)

Action

07:28 51%

MY LEAVES | eServicesJO...
https://dc.allahabadhighcourt.in/le

eServicesJO

MY LEAVE

Application For Leave

Print Copy PDF CSV Excel

Search:

Leave Id	Nature of Leave
L00068572024	Leave Encashment
L02379802023	Leave Encashment

Designation Addl. Principal Judge, Family Court

Department Muzaffar Nagar

Date 21-09-2023

Current Status Principle Judge (Family Court - Muzaffar Nagar)

Action

L00331712021	Earned Leave

eServicesJO

MY LEAVE

Application For Leave

Print Copy PDF CSV Excel

Search:

Leave Id	Nature of Leave
L00068572024	Leave Encashment

Designation Addl. Principal Judge, Family Court

Department Muzaffar Nagar

Date 10-02-2024

Current Status Principle Judge (Family Court - Muzaffar Nagar)

Action

Leave Id	Nature of Leave
L02379802023	Leave Encashment
L00331712021	Earned Leave

प्रेषक,

दीप कान्त मणि
अपर प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय सं० 2,
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय,
मुजफ्फरनगर।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत जारी दिशा निर्देश दिनांकित 05.05.2021 के अनुक्रम में जनपद न्यायाधीश मुजफ्फरनगर द्वारा बनाये गये रोस्टर दिनांकित 10.05.2021 के अनुसार दिनांक 11.05.2021 व 12.05.2021 को मेरी ड्यूटी नहीं थी बावजूद इसके मुझसे उक्त तिथियों के लिए आकस्मिक अवकाश लेने के बाद भी विधि विरूद्ध व मनमाने तरीके से मेरे माह मई 2021 के वेतन के भुगतान को रोक दिया गया था जबकि उपरोक्त तिथियों पर अन्य अधिकारियों के जिनकी रोस्टर के अनुसार ड्यूटी नहीं थी उनसे न तो आकस्मिक अवकाश लिया गया था और न ही उनके वेतन भुगतान रोका गया था। वेतन भुगतान के सम्बन्ध में मेरे द्वारा दिनांक 27.08.2021 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था जिस पर उपरोक्त तिथियों के अवकाश के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय को रिपोर्ट भेजने के आधार पर वेतन के भुगतान को रोकना बताया गया था। यहाँ उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेरे माह मई 2021 के वेतन भुगतान को रोकने का कोई आदेश नहीं दिया गया था बावजूद इसके मेरी सहमति के बगैर मनमाने तरीके से 29 दिवस का वेतन प्रपत्र तैयार कराकर वेतन विल पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया जबकि अपने वेतन का मैं स्वयं आहरण अधिकारी हूँ ऐसे में किसी सक्षम आदेश के बगैर मेरे वेतन को रोकने का कोई वैधानिक कारण नहीं था। तत्कालीन जनपद न्यायाधीश मुजफ्फरनगर के रिपोर्ट के आधार पर संस्थित विभागीय जांच सं० 07/2021 को माननीय न्यायालय द्वारा जाचोपरान्त समाप्त कर दिया गया है। (एनेक्चर–A)

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधिक निर्णय आन्ध्र प्रदेश राज्य व अन्य बनाम श्रीमती दीनावाही लक्ष्मी कामेश्वरी सिविल अपील सं० 390/2021 में वेतन भुगतान के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि "The entitlement to the payment of salary is intrinsic to the right to life under Article 21 and to the right to property which is recognized by Article 300A of the constitution."

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि मनमाने व विधि विरूद्ध तरीके से मेरे माह मई 2021 के रोके गये वेतन से सम्बन्धित वेतन प्रपत्र को तैयार करके हस्ताक्षरित कराने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने की महति कृपा की जाय।

सादर।

दिनांकः–12.12.2023
संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

भवदीय
Deepmani
12/12/23
(दीप कान्त मणि)
अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय सं० 2,
मुजफ्फरनगर।